



उत्तर प्रदेश पुलिस

सब - इंस्पेक्टर (SI)

Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board

भाग - 4

मूलविधि



क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	मूल विधि	
1.	भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता	1
2.	महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों/नियमों की जानकारी	28
3.	महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान व नियम	42
4.	यातायात नियम, सड़क संकेत एवं मोटर वाहन अधिनियम	57
5.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	67
6.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	69
7.	वन्य जीव अधिनियम, 1972	69
8.	आयकर अधिनियम, 1961	71
9.	भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988	78
10.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993	80
11.	सूचना का अधिकार अधिनियम	83
12.	साइबर अपराध	86
13.	सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2005	87
14.	जनहित याचिका	90
15.	महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	92
16.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980	99
17.	अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	100
18.	भूमि - सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व सम्बन्धी कानून	103
19.	पुलिस एवं प्रशासन	126
20.	भारत और उसके पड़ोसी देश	136

मूल विधि

मूल-विधि

1. भारतीय दण्ड शंहिता अधिनियम 1860 एवं दंड प्रक्रिया शंहिता

'प्रमुख धारायें एवं उनकी व्याख्या'

IPC यानी इंडियन पेनल कोड जिसे हिंदी में भारतीय दंड शंहिता और उर्दू में ताज इतात हिन्द कहते हैं-ए-IPC में कुल मिलाकर 511 धाराएं (Sections) और 23 Chapters हैं। यानी 23 अध्याओं में बंटा है। 1834 में पहला विधि आयोग (First Law of Commission) बनाया गया था। इसके चैयरमैन पर्सनल लॉर्ड मैकॉले थे आपको जानकर हँसनी होगी कि विश्व का शब्दी बड़ा दांडिक शंघ्रह (IPC) से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है।

क्या है CrPC

CrPC की इंगिलिश में 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस' और हिंदी में 'दण्ड प्रक्रिया शंहिता' कहते हैं। इसका कानून 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था।

जब भी कोई अपराध होता है उसमें दो तरह की प्रक्रिया होती है पहली पुलिस किसी एक प्रक्रिया पीडित के शंबंध में और दूसरी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है आरोपी के शंबंध में होती है।

क्या है IPC और CrPC में क्या अंतर

इस कानून को दो हिस्सों में बांटा गया है-

1. मौलिक विधि (Substantive Law)
2. प्रक्रिया विधि (Procedural Law)

आपको बता दें, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर दो भागों में बांटा जाता है -

शिविल कानून (Civil Law) और दांडिक कानून (Criminal Law) जिसमें शिविल कानून (Civil Law) को IPC और दांडिक कानून (Criminal Law) को CrPC कहते हैं।

उर्दू में शिविल कानून को दीवानी विधि और दांडिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। IPC मौलिक विधि (Substantive Law) है और CrPC प्रक्रिया विधि (Procedural Law) है।

IPC और CrPC कानून-

IPC - ये अपराध की परिभाषा करती है और दण्ड के प्रावधान की जानकारी देती है।

CrPC - आपराधिक मामले के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से शंखित कानून को मजबूत करना है।

क्या है उद्देश्य -

IPC - इसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में एक तरह का पीनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग इसी के साथ ये अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके। IPS और CrPC कानून खासब व्यवहार की इजाजत नहीं देता गलत व्यवहार करने पर अपराधी को इसका नुकशान पड़ता है।

भारतीय दंड शंहिता, 1860 -

- डेम्स स्टीफन के अनुशास, "अपराध एक ऐसा कृत्य है, जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के मैतिक मनोभावों के प्रतिकूल, दोनों ही होता है।"
- केनी ने अपनी पुस्तक 'आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ,' में अपराध को परिभासित करते हुये लिखा है कि "अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा काम्य नहीं है, यदि वह काम्य है, तो केवल लाघाट द्वारा"।
- अपराध के निम्नलिखित चार आवश्यक तत्व हैं -
 - (1) मानव,
 - (2) आपराधिक मनःस्थिति या दुराशय
 - (3) आपराधिक कृत्य, तथा
 - (4) ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति।
- भारतीय दंड शंहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार बाहर अमुकी मील तक फैला हुआ है।
- भारतीय दंड शंहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया।

भारतीय दंड शंहिता, 1860 -

धारा	विषय
1	शंहिता का नाम और इसके प्रवर्तन का विस्तार।
2	भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड
3	भारत से परे किए गए किन्तु इसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड
4	शाड़ी क्षेत्रीय अपराधों पर शंहिता का विस्तार
5	कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना
6	शंहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन असक्षा जाना
7	एक बार उपष्टीकृत पद का भाव
8	लिंग
9	वचन
10	'पुरुष' 'स्त्री'
11	व्यक्ति
12	लोक
13	क्वीन
14	शरकार का लोक
धारा	विषय
15	ब्रिटिश इंडिया
16	भारत शरकार
17	शरकार
18	भारत
19	न्यायाधीश
20	न्यायालय
21	लैकटोवक

22	जंगम शंपति
23	शदोष अभिलाभ
24	बेईमानी से
25	कपटपूर्वक
26	विश्वास करने का कारण
27	पत्नी, लिपिक या लोक के कब्जे में शंपति
28	कूटकरण
29	दरतावेज़
29(क)	इलेक्ट्रानिक अभिलेख
30	मूल्यवान प्रतिभूति
31	विल
32	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैद्य लोप आता हैं।
33	कार्य, लोप
34	सामान्य आशय को अवश्यक करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य
35	जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है।
36	अंशतः कार्य द्वारा या अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम
37	किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके शहरों करना
38	आपराधिक कार्य में शंपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे
39	स्वेच्छा
40	अपराध
41	विशेष विधि
42	स्थानीय विधि
43	"अवैद्य", करने के लिए वैद्य रूप से आबद्य

44	क्षाति		64	जुर्माना न देने पर कारोबार का दण्डादेश
45	जीवन		65	जबकि कारोबार और जुर्माना दोनों आदिष्ट किये जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारोबार की अवधि
46	मृत्यु		66	जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारोबार दिया जाय।
47	जीवजन्म		67	जुर्माना न देने पर कारोबार, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो
48	जलयान		68	जुर्माना देने पर कारोबार का पर्यवशान हो जाना
49	वर्ष मार्ग		69	जुर्माने के आनुपातिक भाग के दिये जाने की दशा में कारोबार का पर्यवशान
50	धारा		70	जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारोबार के दोस्रान में उद्घासिय होना-अस्पति को दायित्व से गृह्य उभयनुक्त गर्ही करती
51	शपथ		71	कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि
52	सद्भावपूर्वक		72	कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड जबकि निर्णय में यह कथित है कि वह उन्हें है कि वह किसी अपराध का दोषी है।
52 (क)	संश्रय		73	एकान्त परिशेष
53	दण्ड		74	एकान्त परिशेष की अवधि
53 (क)	निर्वाचन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना		75	पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कठिपय अपराधों के लिये वर्धित दण्ड
54	मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण		76	विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आपको विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
55	आजीवन कारोबार के दण्डादेश का लघुकरण		77	न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश के कार्य
55 (क)	समुचित शरकार की परिभाषा		78	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य
56	[निररूप....]		79	विधि द्वारा न्यायानुसत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुसत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
57	दंडाविधियों की भिन्नते		80	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना
धारा	विषय		81	कार्य, जिससे अपहारि कारित होना शम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहारि के निवारण के लिये किया गया है
58	(***लुप्त)		82	सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य
59	(***लुप्त)			
60	दंडादिष्ट कारोबार के कठिपय मामलों में सम्पूर्ण कारोबार या उसका कोई भाग कठिन या शाक हो शकेगा।			
61	[निररूप....]			
62	[निररूप....]			
63	जुर्माने की रकम			

83	शात वर्ष से ऊपर किन्तु बाहर वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व शमन्ज के शिशु का कार्य		100	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने पर कब होता है
84	विकृत व्यक्ति का कार्य		101	कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहारि कारित करने तक होता है ।
85	ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतामें होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है ।		102	शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहा
86	किसी व्यक्ति द्वारा, जो मतामें है, किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है ।		103	कब शम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने तक का होता है
87	शम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहारि कारित करने का आशय न हो और न उसकी शम्भाव्यता का ज्ञान हो		104	ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहारि कारित करने तक का कब होता है ।
88	किसी व्यक्ति के फायदे के लिये शम्मति से शदभावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है		105	शम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहा
89	शंखक द्वारा या उसकी शम्मति से शिशु या उम्रत व्यक्ति के फायदे के लिये शदभाव - पूर्वक किया गया कार्य		106	द्यातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहारि होने की जोखिम है
90	शम्मति, जिसके शम्भन्द में यह ज्ञात हो कि वह भय या अम के अधीन दी गई है ।		107	किसी बात का दुष्प्रेरण
91	ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहारि के बिना भी इतनः अपराध है		108	दुष्प्रेरक
92	शम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिये शदभावनापूर्वक किया गया कार्य		108क	भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण
93	शदभावपूर्वक दी गई शंखुयना		109	दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उस दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध नहीं हैं
94	वह कार्य जिसको करने के लिये कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है ।		110	दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है ।
95	तुच्छ अपहारि कारित करने वाला कार्य		111	दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है ।
द्यारा	विषय		112	दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है ।
96	प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें		113	दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो
97	शरीर तथा शम्पति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार		114	अपराध किए जाते रूपये दुष्प्रेरक की उपरिथिति
98	ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृतियत आदि हो		115	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता
99	कार्य, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है		116	कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध न किया जाए

117	लोक शाधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण	132	विद्वेष का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्वेष किया जाए
118	मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना	133	टैनिक, नौटैनिक या वायुटैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण
119	किसी ऐसी अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक-शोवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका मिवारण करना उसका कर्तव्य है।	134	ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए
120	कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना	135	टैनिक, नौटैनिक या वायुटैनिक द्वारा अभियाजन का दुष्प्रेरण
120क.	आपराधिक घड़यंत्र की परिभाषा	136	अभियायक को लंश्रय देना
120ख.	आपराधिक घड़यंत्र का दण्ड	137	मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिडियक जलयान पर छिपा हुआ अभियाजक
121	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना।	138	टैनिक, नौटैनिक या वायु-टैनिक द्वारा अग्रीणिता के कार्य का दुष्प्रेरण
121क.	द्वारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का घड़यंत्र	139	कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति
122	भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुष्य आदि लंघन करना	140	टैनिक, नौटैनिक या वायु टैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
123	युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना	141	विधिविरुद्ध जमाव
124	किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना	142	विधिविरुद्ध जमाव का शदर्य होना
124क .	राजद्वेष	143	दण्ड
125	भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एथियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना	144	द्वातक आयुष्य से शिक्षित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना
126	भारत सरकार के शाथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्यकांत्र में लूट-पाट करना	145	किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का शमादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बगे रहना
127	द्वारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूट-पाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना	146	बल्वा करना
128	लोक-शोवक का इच्छया राजकैंदी या युद्ध कैंदी को निकल भागने देना	147	बल्वा करने के लिए दण्ड
129	उपेक्षा से लोक-शोवक का ऐसे कैंदी का निकल भागना राहन करना	148	द्वातक आयुष्य से शिक्षित होकर बल्वा करना
130	ऐसे कैंदी के निकल भागने में शहायता देना, उसे छुड़ाना या लंश्रय देना	149	विधिविरुद्ध जमाव का हर शदर्य, शामाद्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किये गये अपराध का दोषी
131	विद्वेष का दुष्प्रेरण या किसी टैनिक, नौटैनिक या वायुटैनिक की कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना	150	विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिये व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता
		151	पांच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने के शमादेश दिए जाने के

	पश्चात् उसमें जान कर हुए सम्मिलित होना या बने २हना		168	लोक-शेवक, जो विधिविशुद्धि रूप से व्यापार में लगता है
152	लोक-शेवक जब बल्वा इत्यादि को ढबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना		169	लोक-शेवक, जो विधिविशुद्धि रूप से सम्पति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है
153	बल्वा करने के आशय से इवैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाये-यदि बल्वा न किया जाये		170	लोक-शेवक का प्रतिरूपण
153क.	धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शरुता का अंपर्वर्तन और सौहार्द बने २हने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना		171	कपटपूर्ण आशय से लोक-शेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना
153कक.	किसी जुलूस में जानबूझकर आयुष्ठ ले जाने या किसी शामूहिक डिल या शामूहिक प्रशिक्षण का आयुष्ठ ठहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिये दण्ड		171 (क)	‘अभ्यर्थी’ निर्वाचन अधिकार परिभाषित
153क्ख	राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांचन, प्रस्त्वान		171 (ख)	रिश्वत
154	उस भूमि का इवासी या अधिशेषी, जिस पर विधिविशुद्धि जमाव किया गया है,		171 (ग)	निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना
155	उस व्यक्ति का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है।		171 (घ)	निर्वाचनों में प्रतिरूपण
156	उस इवासी या अधिशेषी के अभिकर्ता का दायित्व, जिसके फायदे के लिए बल्वा किया जाता है।		171 (ङ)	रिश्वत के लिये दण्ड
157	विधिविशुद्धि जमाव के लिए भाडे पर लाए गए व्यक्तियों की संश्रय देना		171 (च)	निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्ड
158	विधिविशुद्धि जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाडे पर जाना		171 (ज)	निर्वाचन के शिलसिले में अवैध संदाय
159	दंगा		171 (झ)	निर्वाचन-लेखा इत्वाने में असफलता
160	दंगा करने के लिए दण्ड		172	उमरों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना
161-165क	अष्टाव्यार निवारण अधिनियम ,1988 संख्या 49 द्वारा निरसित किया गया		173	उमर की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना
धारा		विषय	174	लोक-शेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर २हना
166	लोक-शेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है।		174 (क)	1974 के अधिनियम 2 की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर-हाजिरी
166 (क)	लोक-शेवक जो विधि के अधीन के निर्देश की अवज्ञा करता		175	दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक-शेवक को दस्तावेज पेश करने का लोप
166 (ख)	पीडित का उपचार न करने के लिए दंड		176	शूयना या इतिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक-शेवक को शूयना या इतिला देने का लोप
167	लोक-शेवक, जो क्षति करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज स्वता है		177	मिथ्या इतिला देना
			178	शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना जबकि लोक-शेवक द्वारा वह वैशा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए
			179	प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक-शेवक का उत्तर देने से इंकार करना

180	कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार	197	मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना
181	शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक-शेवक के या व्यक्ति के शंक्षा शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन	198	प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है शब्दों के रूप में काम में लाना
182	इस आशय से मिथ्या इतिला देना कि लोक-शेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति करने के लिए करे	199	ऐसी घोषणा में, जो शाक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा शके किया गया मिथ्या कथन
183	लोक-शेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा शंपति लिए जाने का प्रतिरोध	200	ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए शब्दों के रूप में काम में लाना
184	लोक-शेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुतिपत्र की गयी शंपति के विक्रय में उपस्थित करना	201	अपराध के शाक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इतिला देना
185	लोक-शेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुतिपत्र की गई शंपति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना	202	इतिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इतिला देने का आशय लोप
186	लोक-शेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना	203	किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इतिला देना
187	लोक-शेवक की शहायता करने का लोप जबकि शहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो	204	शाक्ष्य के रूप में किसी [दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसकी नष्ट करना
188	लोक-शेवक द्वारा शम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा	205	वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण
189	लोक-शेवक की क्षति करने की धमकी	206	शंपति को शमपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना
190	लोक-शेवक से शंक्षा के लिए अवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उपरित करने के लिए क्षति की धमकी	207	शंपति पर उसके शमपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा
191	मिथ्या शाक्ष्य देना	208	ऐसी शाशि के लिए जो शोध्य न हो कपटपूर्वक डिक्की होने देना शहन करना
192	मिथ्या शाक्ष्य गठना	209	बैर्डमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना
193	मिथ्या शाक्ष्य के लिए ढंड	210	ऐसी शाशि के लिए जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिक्की की अभिप्राप्त करना
द्वारा	विषय	211	क्षति कारित करने के आशय से अपराध या मिथ्या आरोप
194	मृत्यु से ढंडनीय अपराध के लिए दोषातिद्धि करने के आशय से मिथ्या शाक्ष्य देना या गठना	212	अपराधी को शंशय देना
195	आजीवन काशवारण या काशवारण से ढंडनीय अपराध के लिए दोषातिद्धि करने के आशय से मिथ्या शाक्ष्य देना या गठना	213	अपराधी को ढंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना
195क	किसी व्यक्ति को मिथ्या शाक्ष्य देने के लिए धमकाना	214	अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलरूप उपहार की प्रस्तुतिपत्र या शंपति का प्रत्यावर्तन
196	उस शाक्ष्य की काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है	215	चोरी की शंपति इत्यादि के वापस लेने में शहायता करने के लिए उपहार लेना

216	ऐसे अपराधी को शंशय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है	228	न्यायिक कार्यवाही में ऐसे हुए लोक-शेवक का शाश्य अपमान या उसके कार्य में विषय
216 (क)	लुटेरों या डाकुओं को शंशय देने के लिए शक्ति	228 (क)	कठिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण
216(ख)	(....निरसित)	229	जूरी शक्त्य या अतीत का प्रतिरूपण
217	लोक-शेवक द्वारा किसी व्यक्ति को ढंड से या किसी शंपति को शमपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवड्डा	229 (क)	जमानत या बन्धापत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता
218	किसी व्यक्ति को ढंड से या किसी शंपति को शमपहरण से बचाने के आशय से लोक-शेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की त्यागा	230	शिक्का की परिभाषा
219	न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक-शेवक द्वारा अष्टापूर्वक किया जाना	231	शिक्के की कूटकरण
220	प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिशेष करने के लिए सुपुर्दग्नि	232	भारतीय शिक्के का कूटकरण
221	पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-शेवक द्वारा पकड़ने का शाश्य लोप	233	शिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या शामग्नी उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
222	ढंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-शेवक द्वारा पकड़ने का शाश्य लोप	234	भारतीय शिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना
223	लोक-शेवक द्वारा उपेक्षा से परिशेष या अभिरक्षा में से निकल भागना राहन करना	235	शिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या शामग्नी उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना
224	किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिशेष या बाधा	236	भारत से बाहर शिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण
225	किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिशेष या बाधा	237	कूटकृत शिक्के का आयात या निर्यात
225 (क)	उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं हैं लोक-शेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना राहन करना	238	भारतीय शिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात
225 (ख)	अन्यथा अनुपर्याप्त दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिशेष या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना	239	शिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
द्वारा	विषय	240	उस भारतीय शिक्के का परिदान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था
226	(...निरसित)	241	किसी शिक्के का असली शिक्के के रूप में परिदान, जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था
227	ढंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण	242	कूटकृत शिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था, जब वह उसके कब्जे में आया था
		243	भारतीय शिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था
		244	टक्काल में नियोजित व्यक्ति द्वारा शिक्के का उस वडन का या मिश्रण से भिन्न

	कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है		विषय
245	टकसाल से शिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेगा	261	इस आशय से कि शरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से जिस पर शरकारी स्टाम्प लागा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है
246	कपटपूर्वक या बेईमानी से शिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	262	ऐसे शरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है
247	कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय शिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना	263	स्टाम्प के उपयोग किये जा चुकने के द्व्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना
248	इस आशय से किसी शिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह अन्न प्रकार के शिक्के के रूप में चल जाए	263 (क)	बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध
249	इस आशय से भारतीय शिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह अन्न प्रकार के शिक्के के रूप में चल जाए	264	तेलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग
250	ऐसे शिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है।	265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग
251	भारतीय शिक्के का परिदान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है।	266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना
252	ऐसे व्यक्ति द्वारा शिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था वह उसके कब्जे में आया	267	खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना
253	ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय शिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था वह उसके कब्जे में आया	268	लोक न्यूर्सिंग
254	शिक्के का झरनली शिक्के के रूप में परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था	269	अपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये शंक्तपूर्ण रोग का शंकमण फैलना सम्भाव्य हो
255	शरकारी स्टाम्प का कूटकरण	270	परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये शंक्तपूर्ण रोग का शंकमण फैलना सम्भाव्य हो
256	शरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या शामड़ी कब्जे में रखना	271	करनीज के नियम की झवड़ा
257	शरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिये उपकरण बनाना या बेचना	272	विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण
258	कूटकृत शरकारी स्टाम्प का विक्रय	273	अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय
259	शरकारी कूटकृत स्टाम्प कब्जे में रखना	274	झौजधियों का अपमिश्रण
260	किसी शरकारी स्टाम्प को, कूटकृत जानते हुए जो झरनली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना	275	अपमिश्रित झौजधियों का विक्रय
		276	झौजधि का अन्न झौजधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय
		277	लोक जल-ट्रोत या जलाशय का जल कलुजित करना
		278	वायुमण्डल की रक्षा के लिये अपायकर बनाना
		279	लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना

	दारा	विषय
280	जलयान का उतावलेपन से चलाना	
281	आमक प्रकाश, यिह्ज या बोये का प्रदर्शन	
282	अंकोमकर या आति-लदे हुये जलयान में भाडे के लिये जलमार्ग में किसी व्यक्ति का प्रवहण	
283	लोकमार्ग या गौपरिवहन पथ में शंकट या बाधा	
284	विजैले पदार्थ के शम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	
285	अग्नि या उवलनशील पदार्थ के शम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण	
286	विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण	
287	मरीनरी के शंबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	
288	किसी गिरण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के शंबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	
289	जीवजन्तु के शंबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण	
290	अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूट्रोन्स के लिये दण्ड	
291	न्यूट्रोन्स बंद करने के आदेश के पश्चात् उसका चालू रखना	
292	अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि	
293	तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि	
294	अश्लील कार्य और गाने	
294 (क)	लाटरी कार्यालय रखना	
295	किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के रथान को क्षति करित करना या अपवित्र करना	
295 (क)	विमर्शित और विद्वेशपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किये गये हो	
296	धार्मिक जमाव में विघ्न करना	
297	कब्रिस्तानों आदि में आतियार करना	
298	धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि	
299	आपराधिक मानव वध	
300	हत्या	
301	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध	
302	हत्या के लिये दण्ड	
303	आजीवन शिद्धादोष द्वारा हत्या के लिये दण्ड	
304	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड	
304 (क)	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	
304 (ख)	दहेज मृत्यु	
305	शिशु या उनमत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरणा	
306	आत्महत्या का दुष्प्रेरणा	
307	हत्या करने का प्रयत्न	
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न	
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न	
310	ठग	
311	दण्ड	
312	गर्भपात कारित करना	
313	स्त्री की शम्मति के बिना गर्भपात कारित करना	
314	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु	
315	शिशु का जीवित पैदा होना शोकने या उनम के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य	
316	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी जीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना	
317	शिशु के पिता या माता या उसकी देख-रेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परिव्याग	

	दारा	विषय
318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा उन्नमि छिपाना	
319	उपहति	
320	घोर उपहति	
321	स्वेच्छ्या उपहति कारित करना	
322	स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
323	स्वेच्छ्या उपहति कारित करने के लिए दंड	
324	खतरनाक आयुधों या शाधनों द्वारा स्वेच्छ्या उपहति कारित करना	
325	स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करने के लिये दण्ड	
326	खतरनाक आयुधों या शाधनों द्वारा स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
326 (क)	अम्ल आदि का प्रयोग कर स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
326 (ख)	स्वेच्छ्या अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयोग करना	
327	सम्पति उद्धापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छ्या उपहति कारित करना	
328	आपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना	
329	सम्पति उद्धापित करने के लिए या अवैध कार्य करने को मजबूर करने के लिये स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
330	संरक्षिकृति उद्धापित करने या विवश करके सम्पति का प्रत्यावर्तन करने के लिये स्वेच्छ्या उपहति कारित करना	
331	संरक्षिकृति उद्धापित करने के लिये या विवश करके सम्पति का प्रत्यावर्तन करने के लिये स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
332	लोक-शैवक को झपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छ्या उपहति कारित करना	
333	लोक-शैवक को झपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिये स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
334	प्रकोपन पर स्वेच्छ्या उपहति कारित करना	
335	प्रकोपन पर स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित करना	
336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षीम शंकटापन हो	
337	ऐसे कार्य द्वारा उपहति करना, जिससे दूसरों का जीवन का या वैयक्तिक क्षीम शंकटापन हो जाए	
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षीम शंकटापन हो जाए	
339	शदोष ऋवीष्ट	
340	शदोष परिशोष	
341	शदोष ऋवीष्ट के लिए दंड	
342	शदोष परिशोष के लिए दंड	
343	तीन या अधिक दिनों के लिए शदोष परिशोष	
344	दश या अधिक दिनों के लिए शदोष परिशोष	
345	ऐसे व्यक्ति का शदोष परिशोष, जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है	
346	गुप्त इथान में शदोष परिशोष	
347	संपति उद्धापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए शदोष परिशोष	
348	संरक्षिकृति उद्धापित करने के लिए या विवश करके संपति का प्रत्यावर्तन करने के लिए शदोष परिशोष	
349	बल	
350	आपराधिक बल	
351	हमला	
352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड	
353	लोक-शैवक को झपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	
354	स्त्री की लड़ाई भंग करने के आशय से ३८ पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	
354 (क)	लैंगिक उपीड़न और लैंगिक उपीड़न के लिए दण्ड	
354 (ख)	विवर्तन करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	

354 (ग)	दृश्यरतिकता
354 (घ)	पीछा करना
355	गंभीर प्रकोपन होने से इन्हें व्यक्ति का निरादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
356	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली टांपति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
357	किसी व्यक्ति का शब्दों परिणाम करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
358	गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
359	व्यपहरण
360	भारत में से व्यपहरण
361	विद्यिपूर्ण टांक्षकता में से व्यपहरण
362	अपहरण
363	व्यपहरण के लिए दंड
363(क)	भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण
364 (क)	मुकित-धन आदि के लिए व्यपहरण
365	किसी व्यक्ति का गुप्त शीति से और शब्दों परिणाम करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण
366	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी लड़ी को व्यपहरत करना, अपहरत करना या उत्प्रेरित करना
366 (क)	अप्राप्तवय लड़की का उपापन
366 (ख)	विदेश से लड़की का आयात करना
367	व्यक्ति को घोर उपहरति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण
368	व्यपहरत या अपहरत व्यक्ति को शब्दों छिपाना या परिणाम में रखना

धारा	विषय
369	दस वर्षों से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उत्तरा व्यपहरण या अपहरण
370	दास टो रूप में किसी व्यक्ति का खरीदना या व्ययन करना
370 (क)	ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुव्यापार किया गया है, शोषण
371	दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना
372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना
373	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना
374	विद्यविरुद्ध अग्निवार्य श्रम
375	बलात्तंग
376	बलात्तंग के लिए ढंड
376क.	पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ शंभोग
376ख	लोक-शैवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी लड़ी के साथ शंभोग
376ग	जेल, प्रतिष्णणगृह आदि के अधीक्षक द्वारा शंभोग
376घ	अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीवृद्ध आदि के किसी शहरस्य द्वारा या उस अस्पताल में किसी लड़ी के साथ शंभोग
376उ	पुरावृत्तिकर्ता अपशाधियों के लिए ढंड
377	प्रकृति - विरुद्ध अपराध
378	चोरी
379	चोरी के लिए ढंड
380	निवास-गृह आदि में चोरी
381	लिपिक या शैवक द्वारा इवामी के कब्जे की शंपति की चोरी
382	चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या छवरीदार कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी
383	उद्धापन
384	उद्धापन के लिए ढंड

	विषय
385	उद्योपन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना
386	किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्योपन
387	उद्योपन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना
388	मृत्यु या आजीवन काशावाण, आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्योपन
389	उद्योपन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना
390	लूट
391	डकैती
392	लूट के लिए दंड
393	लूट करने का प्रयत्न
394	लूट करने में रवेच्छ्या उपहति कारित करना
395	डकैती के लिए दंड
396	हत्या शहित डकैती
397	मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती
398	घातक आयुध से लड़िजत होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न
399	डकैती करने के लिए तैयारी करना
400	डकूओं की टोली का होने के लिए दंड
401	चोरों की टोली का होने के लिए दंड
402	डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना
403	शंपति का बेईमानी से दुविनियोग
404	ऐसी शंपति का बेईमानी से दुविनियोग जो मृत के समय उसके कब्जे में थी
405	आपराधिक न्यायालंग
406	आपराधिक न्यायालंग के लिए दंड
407	वाहक,आदि छारा आपराधिक न्यायालंग
408	लिपिक या लैवक छारा आपराधिक न्यायालंग
409	लौक-लैवक छारा या बैकर, व्यापारी या अभिकर्ता छारा आपराधिक न्यायालंग
410	चुराई हुई शंपति
411	चुराई हुई शंपति को बेईमानी से प्राप्त करना
412	ऐसी शंपति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है ।
413	चुराई हुई शंपति का अभ्यासत व्यापार करना
414	चुराई हुई शंपति छिपाने में शहायता करना
415	छल
416	प्रतिरूपण छारा छल
417	छल के लिए दंड
418	इस छान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को शकोज हानि हो सकती है जिसका हित शंरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध हैं
419	प्रतिरूपण छारा छल के लिए दंड
420	छल करना और शंपति परिदृष्ट करने के लिए बेईमानी से उपयोगित करना
421	लेनदारी में वितरण निवारित करने के लिए शंपति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपशारण या छिपाना
422	ऋण को लेनदारों के लाए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना
423	अंतरण ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के शंबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट हैं बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन
424	शंपति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपशारण या छिपाया जाना
425	रिजिट
426	रिजिट के लिए दंड
427	रिजिट जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है

428	दस रूपये के मूल्य के जीव-जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	447	आपराधिक अतिचार के लिए दंड
429	किसी मूल्य के ढोर आदि की या पचास रूपये के मूल्य के किसी जीव-जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि	448	गृह-अतिचार के लिए दंड
430	रिंचन शंकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने द्वारा रिष्टि	द्वारा	विषय
431	लोक शडक, पुल, नदी या जल-शारणी को क्षति पहुँचाकर रिष्टि	449	मृत्यु से दंडनीय अपरोध को करने के लिए गृह-अतिचार
432	लोक जल-निकाल में नुकशानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि	450	आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
433	किसी दीपगृह या शमुद्दी चिन्ह को नष्ट करने, हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि	451	कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार
434	लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि-चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि	452	उपहति, हमला या शोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार
435	सौ रूपये का या (कृषि उपज की दशा में) दस रूपये का नुकशान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	453	प्रछन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन के लिए दंड
436	गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि	454	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रछन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
437	तल्लायुक्त या बीख टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शोपद बनाने के आशय से रिष्टि	455	उपहति, हमला या शोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् प्रछन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन
438	द्वारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गयी रिष्टि के लिए दंड	456	रात्री प्रछन्न, गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन के लिए दंड
439	चोरी आदि करने के आशय से जलयान को शोष भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड	457	कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्री प्रछन्न गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन
440	मृत्यु या उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् की गयी रिष्टि	458	उपहति, हमला या शोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् रात्री प्रच्छन गृह-अतिचार या रात्री गृह भेदन
441	आपराधिक अतिचार	459	प्रच्छन गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो
442	गृह-अतिचार	460	रात्री प्रच्छन गृह-अतिचार या रात्री गृह-भेदन में शंयुक्ततः शंपृक्त शमस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो
443	प्रच्छन गृह अतिचार	461	ऐसे पात्र को जिसमें शंपति है, बेङ्गानी से तोड़कर खोलना
444	रात्री प्रच्छन गृह- अतिचार	462	उसी अपराध के लिए दंड, जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यरूप की गई है
445	गृह-भेदन	463	कूटरचना
446	रात्री गृह भेदन	464	मिथ्या दस्तावेज त्वना
		465	कूटरचना के लिए दंड
		466	न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना

467	मूल्यवान प्रतिश्रूति, विल इत्यादि की कूटरचना		484	लोक-शेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण
468	छल के प्रयोजन से कूटरचना		485	संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा
469	ख्याति को अपहानि पहुँचाने से आशय से कूट रचना		द्वारा	विषय
470	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख		486	कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय
471	कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना		487	किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है
472	द्वारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना के आशय के कूटकृत मुद्दा आदि का बनाना या कब्जे में रखना		488	किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड
473	अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्दा आदि का बनाना या कब्जे में रखना		489	क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना
474	द्वारा 466 या 467 के वर्णित दस्तावेजों को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना		489 (क)	करेंटी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण
475	द्वारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना		489 (ख)	कूटरचित या कूटकृत करेंटी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना
476	द्वारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्हयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना		489 (ग)	कूटरचित या कूटकृत करेंटी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना
477	विल, दस्तक ग्रहण प्राधिकारपत्र या मूल्यवान प्रतिश्रूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट आदि करना		489 (घ)	करेंटी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपकरण या शामशी बनाना या कब्जे में रखना
477 (क)	लेखा का मिथ्याकरण		489 (ङ.)	करेंटी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग
478	(....) मिरसित		490	(....) मिरसित
479	संपत्ति चिन्ह		491	अस्तित्व व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग
480	मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना		492	(....) मिरसित
481	मिथ्या संपत्ति-चिन्ह को उपयोग में लाना		493	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्पन्न करने वाले पुरुष द्वारा कारित शहवास
482	मिथ्या संपत्ति-चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड		494	पति या पत्नी के जीवन काल में पुन विवाह करना
483	अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण		495	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति की छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है।
			496	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाहकर्म पूरा कर लेना
			497	जारकर्म
			498	विवाहिता लंगी को अपराधिक आशय से फुरालाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्धा रखना